न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 28/2024

जीसीएमएस नम्बर : 2024/73

प्रार्थीः– **बनाम** **अप्रार्थीगण :–**

प्रार्थीः–

1. रतनसिंह पुत्र भंवरसिंह
2. सुरजकंवर पत्नी स्व. मोहनसिंह
3. मोहर कंवर पत्नी भंवरसिंह
4. प्रकाश कंवर पत्नी स्व. नरपतसिंह

जातिगण राजपूत निवासी गांव भालेलाव तहसील व जिला पाली।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. स्व. प्रेमसिंह पुत्र उगमसिंह जाति राजपूत निवासी गांव भालेलाव तहसील व जिला पाली
   1/1 बालकंवर पत्नी प्रेमसिंह
   1/2 परबतसिंह पुत्र स्व. प्रेमसिंह
   1/3 संग्राम सिंह पुत्र स्व. प्रेमसिंह
   जातिगण निवासी भालेलाव तहसील व जिला पाली हाल पता मैसर्स जय गणेश इलेक्ट्रीक हार्डवेयर सेनेट्री, पता 4–9–174/4 इण्डियन ऑयल पेट्रोल पम्प के सामने, हयात नगर, हैदराबाद – 500074
2. गिरधारीसिंह पुत्र उगमसिंह जाति राजपूत निवासी गांव भालेलाव तहसील व जिला पाली
3. ग्राम पंचायत भांगेसर तहसील व जिला पाली जरिये सरपंच

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश पंवार
2. अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/3 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्रसिंह मेड़तिया।

–: निर्णय :–

दिनांक : 18/09/2025

प्रार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत भांगेसर द्वारा मिसल संख्या 30/2004–05, प्रस्ताव संख्या 2(32) एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 1494 दिनांक 05.11.2004 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने दौराने बहस निगरानी मीमों में वर्णित कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम पंचायत ने रास्ते एवं खुले सार्वजनिक चौक का जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया तथा वर्तमान में जैर निगरानी आराजी मौके पर खुली है,

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलक्टर पाली

जिस पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया हुआ है। जैर आराजी पर अप्रार्थी का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। प्रार्थीगण जैर आराजी से हितबद्ध व्यक्ति है। प्रेमसिंह व गिरधारी सिंह ने षड़यंत्रपूर्वक मिथ्या दस्तावेजों के आधार रास्ते की भूमि का जैर निगरानी पट्टा जारी करवा दिया। मौके पर जो पडौस बताये गये है व कभी मौजूद ही नहीं रहे है। मिसल में कांट–छांट है, निरीक्षण प्रपत्र में कोई दिनांक अंकित नहीं है। आदेशिका में भी नाम बाद में अंकित किये गये है। प्रकरण में स्वतंत्र गवाहों के बयान न लेकर अप्रार्थी के रिश्तेदारों के बयान लिये गये है तथा जैर निगरानी पट्टा नियम 157 के तहत निर्धारित क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल का जारी किया गया है। ग्राम पंचायत ने पंचायतीराज नियमों की अवहेलना करते हुये विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। इसलिये जैर निगरानी याचिका स्वीकार फरमाते हुये विधिविरूद्ध तरीके से जारी जैर निगरानी पट्टे को खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/3 एवं 2 ने अधिवक्ता प्रार्थी के कथनों का विरोध करते हुये निवेदन किया कि जैर निगरानी पट्टा सार्वजनिक भूमि का जारी न होकर आबादी भूमि का जारी किया है तथा मौके पर अप्रार्थी के मकान बने हुये है जो कि उनका पुश्तैनी रहवास है। ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों वर्णित प्रावधानों की पालना करते हुये विधिसम्मत तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। यदि ग्राम पंचायत की प्रक्रिया में कोई तकनीकी त्रुटि रह जाती है तो उसमें अप्रार्थी का कोई दोष नहीं है। इसलिये बिना विधिक आधारों के प्रस्तुत जैर निगरानी याचिका को निरस्त फरमावे।

हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत भांगेसर द्वारा मिसल संख्या 30/2004–05, प्रस्ताव संख्या 2(32) एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 1494 दिनांक 05.11.2004 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता प्रार्थीगण का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि जैर निगरानी आराजी राज पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उप समिति का अभिलेख उनमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य का परिक्षण किया जाता है। अधिवक्ता प्रार्थीगण का दौराने बहस अन्य उज्र यह था कि ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों से अधिक 3250 वर्गफीट का जैर निगरानी पट्टा जारी किया है जबकि राजस्थान पंचायती राज के नियम 157 के तहत 300 वर्गगज तक के पट्टे जारी करने के प्रावधान वर्णित है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थी अधिवक्ता के उज्र का विरोध करते हुये निवेदन किया कि ग्राम पंचायत ने केवल अप्रार्थी की कब्जुसुदा व पुराने निर्मित मकान के अनुसार ही पट्टा जारी किया है, जिसमें पंचायत नियमों की पालना की है। प्रकरण में जैर निगरानी पट्टा 3250 वर्गफुट की भूमि से सम्बन्धित है, जबकि 1996 के नियम 157 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित दरों पर 300 वर्गगज की सीमा निर्धारित की गई है। जिन मामलों में क्षेत्रफल 300 वर्गगज से अधिक है वहां जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुशंसित दरों पर पट्टा होना चाहिए जो कि वर्तमान मामलें में

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

निश्चित रूप से नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय State of Rajasthan vs Kedar Singh में यह स्पष्ट किया कि पट्टे के लिए निर्धारित राशि और क्षेत्रफल में विसंगति पाई जाए तो उस पट्टे को रद्द किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त 2020(1) DNJ (Raj.) 201 Kushal Singh Rajpurohit vs State of Rajasthan Thro' Secsretary Department Panchayati Raj, Jaipur & Ors. में वर्ष 2007 में ग्राम पंचायत द्वारा जारी 300 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल के पट्टे को निरस्त करते हुये यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 – नियम 157 के तहत निर्धारित क्षेत्रफल 300 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल का पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है।"

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(क) के तहत जारी किया गया है। हस्तगत प्रकरण में पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 140 से 157 में विहित प्रावधानों की पूर्ण पालना का अभाव पाया गया हैं। ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी द्वारा पट्टा जारी करवाने हेतु दो भिन्न–भिन्न प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये गये, जिसमें से एक प्रार्थना–पत्र पर प्रेमसिंह के हस्ताक्षर है और दुसरे प्रार्थना–पत्र पर गिरधारी सिंह के हस्ताक्षर है। साथ ही एक प्रार्थना–पत्र पर दिनांक 20.08.2004 अंकित है और नक्शा फीस 25/– के कथन वर्णित है जबकि दुसरा अदिनांक और 60/– जमा करने के कथन वर्णित है। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ किसी प्रकार का नक्शा प्रस्तुत ही नहीं किया गया। जैर निगरानी आज्ञा से सम्बन्धित मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि आदेशिका दिनांक 20.08.2004, जो कि प्रथम आदेशिका थी, उसमें सचिव को प्रश्नगत भूमि का नक्शा बनाने हेतु निर्देशित किया गया जबकि ग्राम पंचायत से प्राप्त बैठक कार्यवाही रजिस्टर का अवलोकन करने पर यह पाते है कि बैठक दिनांक 05.08.2004 के पश्चात् आगामी बैठक दिनांक 04.09.2004 को आयोजित हुई अर्थात् जिस आदेशिका के द्वारा प्रश्नगत मिसल दर्ज की गई उस दिनांक को ग्राम पंचायत में कोई बैठक ही आयोजित नहीं हुई जबकि बैठक कार्यवाही रजिस्टर के पेज अनवरत है। प्रकरण में प्रश्नगत आराजी का जो नक्शा तैयार किया गया है उस पर सायल के हस्ताक्षर नहीं है और न ही नक्शा तैयार करने की कोई दिनांक अंकित है। इसी प्रकार मिसल की आमामी आदेशिका दिनांक 04.09.2004 के द्वारा तीन पंचों को नियुक्त कर मौका निरीक्षण किये जाने के आदेश जारी किये गये, इस सम्बन्ध में बैठक कार्यवाही रजिस्टर का अवलोकन करने पर पाते है कि दिनांक 04.09.2004 की तारीख पर व्हाईटनर लगाकर दिनांक में परिवर्तन किया गया है तथा प्रस्ताव संख्या 1 मे केवल दो वार्डपंच इन्द्रसिंह व बाबूलाल को नियुक्त किया। इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा नियम 145(3) के तहत स्थल निरीक्षण के व्यय पेटे 25/– रूपये जमा करवाये जाने थे, जो नहीं करवाये गये। इसके पश्चात नियम 146 के तहत पत्रावली कायम की जाकर नियुक्त पंच नियम 146(3) "क से ड" के बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते, किन्तु प्रकरण में उपरोक्त वर्णित प्रावधानों को दूषित करते हुये मनमर्जी की प्रक्रिया अपनाते जाकर कार्यवाही की गई, जो पट्टा जारी किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर प्रश्नचिहन लगाती

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

है। साथ ही प्रश्नगत पट्टा मिसल संख्या 30/04–05 की पालना में जारी किया गया है जबकि मिसल के संलग्न मौका निरीक्षण प्रपत्र में मिसल संख्या 41/04–05 अंकित है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2012 (2) RLW(RJ) 1091 Dhrampal Singh vs Additional District Collector के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Rules, 1996, Rule 157 read with Rule 146 - Allotment bade by Village Panchayat-Not following the requirements of Rule 157-Additional Collector cancelled the allotment-Held-The village Panchayat had failed to follow the procedure prescribed for allotment or take into consideration the preconditions for invoking Rule 157 of the 1996 Rules. Petition dismissed. इसी प्रकार 2009 WLC 759 Babu singh vs State of Rajasthan & Others. के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Act, 1994-S.97-The patta issuing order of the collector has been quashed as the order has been made in violation of the rules-The collector has exercised his power superficially in this mater which is not acceptable-Resolution for issuing the Patta has been set aside. उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण पर हूबहू चस्पा होता है। प्रकरण में पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह समर्थन योग्य नहीं है।

हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त जैर निगरानी मिसल का अवलोकन करने पर यह आश्चर्यजनक तथ्य सामने आता है कि आदेशिका दिनांक 04.09.2004 के द्वारा मौका रिपोर्ट आगामी बैठक में पेश करने हेतु आदेशित किया गया परन्तु आगामी आदेशिका उसी रोज दिनांक 04.09.2004 को दर्ज की जाकर मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होना बताते हुये आपत्ति नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये। इसी तरह बैठक कार्यवाही की बैठक दिनांक 05.10.2004 को देखने मात्र से ही यह स्पष्ट होता है कि उक्त बैठक का पश्चातवर्ती अंकन किया गया है। प्रकरण में गवाह के बयान में कांट–छांट है तथा एक बयान दूसरे बयान की कार्बन कॉपी है, साथ ही पंचों द्वारा जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, उसमें भी मूलभूत तथ्यों का अभाव है। नियम 148 के तहत आपत्ति इश्तिहार प्ररूप–XXII में आक्षेप आमन्त्रित करते हुये प्रकाशित करना था जबकि ग्राम पंचायत ने नियम 260 फार्म संख्या 50 के तहत आपत्ति इश्तिहार जारी कर दिया तथा आपत्ति इश्तिहार का सहजदृश्य स्थान पर चस्पानगी के सम्बन्ध में गवाहो के केवल हस्ताक्षर अंकित है उनकी वल्दियती के सम्बन्ध में कोई जानकारी अंकित नहीं है। प्रकरण में जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, उसके सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त हुई अथवा नहीं ? यदि आपत्ति प्राप्त हुई, तो उक्त आपत्ति का क्या निस्तारण किया गया ? यह कहीं भी स्पष्ट नहीं हैं। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत मिसल की आदेशिका दिनांक 05.11.2004 में मिसल संख्या 40/2004–05 के तथ्य अंकित है तथा जो दिनांक अंकित की हुई है वह प्रश्नगत मिसल से सम्बन्धित ही नहीं है। इस सम्बन्ध में राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त 1995 DNJ (Raj) 458 Dhanraj and Anr vs Additional Collector, Ganganagar & Ors. के अनुसार राजस्थान पंचायत और न्याय पंचायत (सामान्य) नियम, 1961–नियम 255 से 265–आबादी भूमि के विक्रय हेतु विस्तार से प्रक्रिया प्रकट है–प्रस्तुत मामले में यह प्रक्रिया नहीं अपनाई गई–भूमि क्रय

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

करने हेतु आमंत्रण नहीं मांगें गए, कोई सूचना प्रकाशित नहीं हुई–कोई आपत्तियॉ भी नहीं मांगी गई और न सार्वजनिक निलाम ही हुआ, अभिनिर्धारित, यह तो स्पष्ट रूप से नियमों का ही अतिक्रमण न होकर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का भी अतिक्रमण है–विक्रय को अभिखण्डित क़िया गया। इसी प्रकार RRT 2003(1) page 174 के अनुसार राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 नियम 142 से 157–पंचायती राज अधिनियम, 1994–धारा 63 व 97–आपसी बातचीत से आबादी भूमि विक्रय की–जब तक नियम 156 में दी गई शर्तों की पालना न हो तब तक भूमि विक्रय नहीं की जा सकती और न पट्टा जारी किया जा सकता–प्रार्थी पिछले 15 वर्षों से भूमि के अधिपत्य में है इस आधार पर भी भूमि आपसी बातचीत से विक्रय नहीं की जा सकती–नियम 142 से 157 के प्रावधानों की पालना नहीं–अपर कलेक्टर ने विक्रय को अपास्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टे जारी किये जाने में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 145 से 157 में निहित प्रावधानों का पालन नहीं किया हैं। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थीगण को गुप्त तरीके से पट्टे देने एवं उपकृत करने के लिए पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई हैं। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टे विधि सम्मत नहीं है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत भांगेसर द्वारा मिसल संख्या 30 / 2004–05, प्रस्ताव संख्या 2(32) एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 1494 दिनांक 05.11.2004 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि के साथ ग्राम पंचायत का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 18/09/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राज.)